सराहनीय कार्य
कानपुर देहात पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

#CRACKDOWN

प्रेस नोट - दिनांक 30.08.2026

थाना रनियां पुलिस द्वारा दिनांक 25.08.2026 को हुई गोकशी की घटना का सफल अनावरण करते हुए मुठभेड़ के दौरान 02 अभियुक्तों व 01अभियुक्त को मौके से किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्तगण के कब्जे से 04 अदद मोबाइल, 02 अदद चापड़, 01 अदद छूरा, 01 अदद छूरी, 02 अदद अवैध तमंचे 315 बोर, 04 खोखा कारतूस, 03 जिन्दा कारतूस, 01 अदद स्कूटी (UP78JF3416) तथा जामा तलाशी से कुल ₹1330/- नकद बरामद हुए।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में कानपुर देहात के थाना रनियां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध/आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी/लूट/छिनैती/गोकशी की घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात के मार्गदर्शन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय अकबरपुर जनपद कानपुर देहात के पर्यवेक्षण में, दिनांक 25.08.2026 को थाना रनियां क्षेत्र में हुई गोकशी की घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 0165/2026, धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की पतारसी सुरागरसी व गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में दिनांक 30.08.2026 को थाना रनियां पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गोकशी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण पुनः उसी प्रकार की घटना को अंजाम देने की फिराक में दो पहिया वाहन स्कूटी से सचेंडी से रायपुर (रनियां) की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास करके सचेंडी-रायपुर रोड़ पर रनियां पुलिस द्वारा रिन्द नदी पुल से करीब 100 मीटर पहले ग्राम रायपुर में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक स्कूटी पर 03 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया, तो अचानक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया और स्कूटी सहित गिर गये। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछाकर चेतावनी देते हुए पकडने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा तमंचे से

पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किये गये। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया जिसमें दो अभियुक्तों के दाहिने पैर में गोली लगी जिनका नाम 1. फजल करीम पुत्र शफी रहमान निवासी 80/20 कुलियाना कुली बाजार थाना बादशाही नाका कानपुर नगर उम्र 29 वर्ष, 2. सलमान बाबू पुत्र खलील मोहम्मद निवासी ग्राम पकडी थाना सचेण्डी कानपुर नगर उम्र करीब 28 वर्ष, 3. अभियुक्त इरफान पुत्र अनवार निवासी 92/11 रजवी रोड थाना बेकनगंज जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 25 वर्ष को मौके से पकड़ लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 04 अदद मोबाइल, 02 अदद चापड़, 01 अदद छूरा, 01 अदद छूरी, 02 अदद अवैध तमंचे 315 बोर, 04 खोखा कारतूस, 03 जिन्दा कारतूस, 01 अदद स्कूटी (UP78JF 3416) तथा जामा तलाशी से कुल ₹1330/- नकद बरामद हुए। तीनो व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.08.2026 की रात को हम तीनों ने रायपुर में रिन्द नदी के पुल के पास के खेत में एक साँड़ को पकड़कर काटा था, जिसकी चमड़ी उतार कर उसका माँस निकालकर हम लोग ले गये थे एवं जल्दबाजी में अवशेषों को मौके पर पड़ा छोड़ दिया था, हम तीनों लोग अक्सर आवारा गौवंश को एकान्त जंगली इलाकों में पकड़कर काटकर उसका माँस निकालकर अपनी इसी स्कूटी पर लादकर पालीथीनों में भरकर आस-पास के उन इलाकों में ले जाकर बेंचते हैं जहाँ माँस की माँग ज्यादा रहती है, हम इस माँस को जरूरतमंद लोगों को भैंस का माँस बताकर ऊँचे दामों में बेंचकर भारी मुनाफा कमाते हैं जिससे अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, आज हम लोग फिर से गोकशी की फिराक में आये थे, लेकिन आप पुलिस वालों से खुद को घिरता देख पकड़े जाने से बचने के लिए हमने आप लोगों के ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग की है, यह तमन्चे हम इसी उद्देश्य से रखते हैं कि ऐसे मौकों पर फायरिंग करके बचकर निकलकर भाग सकें। अभियुक्तगण उपरोक्त को रिन्द नदी से 100 मीटर पहले बहद ग्राम रायपुर के पास से हिरासत पुलिस में लिया गया। घायल अभियुक्तों को नियमानुसार कार्यवाही करते हुये पुलिस हिरासत में लेकर प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने, अवैध तमंचा व कारतूस, व चापड, छुरा, छुरी, पन्नी , रस्सी, रस्सा बरामद होने एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना रनियां पर मु0अ0सं0 167/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. इरफान पुत्र अनवार निवासी 92/11 रजवी रोड थाना बेकनगंज जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 25 वर्ष।
2. फजल करीम पुत्र शफी रहमान निवासी 80/20 कुलियाना कुली बाजार थाना बादशाही नाका कानपुर नगर उम्र 29 वर्ष।
3. सलमान बाबू पुत्र खलील मोहम्मद निवासी ग्राम पकडी थाना सचेण्डी कानपुर नगर उम्र करीब 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इरफान उपरोक्तः-

1-मु0अ0स0 42/26 धारा 308(5)/351(3)/352 बीएनएस थाना बेकनगंज जनपद कानपुर नगर।

2-105/2018 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना मूलगंज जनपद कानपुर नगर।

3-मु0अ0स0 153/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मूलगंज जनपद कानपुर नगर।

4. मु0अ0सं0 0165/2026, धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 थाना रनियां जनपद कानपुर देहात।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त फजल करीम उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 0165/2026 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 थाना रनियां जनपद कानपुर देहात।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सलमान बाबू उपरोक्तः-

1. मु0अ0स0 337/2022 धारा 279/338 भादवि0 थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर।
2. मु0अ0सं0 0165/2026, धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 थाना रनियां जनपद कानपुर देहात।

बरामदगीः-

1. 02 देशी तमन्चा नाजायज 315 बोर , 04 खोखा कारतूस 315 बोर तथा 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. 02 चापड़, 01 छूरा, 01 छूरी।
3. घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी (नंबर UP78JF3416)
4. 04 मोबाइल।
5. जामा तलाशी में कुल ₹ 1330/- नगद।

पुलिस टीमः- थाना रनियां पुलिस टीम

1. थानाध्य श्री दिनेश कुमार गौतम
2. नवनुयुक्त थानाध्यक्ष श्री सौरभ सिं
3. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार तिवारी
4. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार पाल
5. उ0नि0 श्री इन्द्र पाल सिंह
6. हे0का0 250 सतेन्द्र सिंह
7. का0 201 नरेन्द्र राणा
8. का0 629 सोनू
9. का0 832 प्रवीन कुमार
10. रि0का0 134 अरविन्द कुमार